# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग
### आदेश

आ0सं0–01 / स्था0 (क0अ0)–02 / 2025 3149 न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 25.02.2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सी०) संख्या–7257 / 2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–13 दिनांक 01.01.2025 द्वारा विज्ञापन सं० 01 / 2019 के अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वैसे अभ्यर्थियों में से जिनके प्रमाण पत्रों / अंक पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित संस्थान / विश्वविद्यालय से अप्राप्त है / प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं है / Distance mode अथवा Regular mode के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है / वैसे अभ्यर्थियों का संबंधित संस्थानों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं सही पाये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित 3 (तीन) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :–

| क्रम सं0 | अभ्यर्थी का नाम / गृह जिला | पिता / पति का नाम स्थायी पता | पंजीयन संख्या | आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित सीरियल नंबर | जन्म तिथि | आवेदन की कोटि / चयनित कोटि / अनुशंसित कोटि | नियुक्त अभ्यर्थी का छायाचित्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | मो0 मोजम्मिल हसन | शमीम अहमद ग्राम–रजौड़ा, पो0–रैयाम फैक्टरी, थाना–रैयाम, पिन कोड–847337 जिला–दरभंगा | BR00150010068722 | 447 | 26.02.1988 | EWS/ UR/ 60-UR | 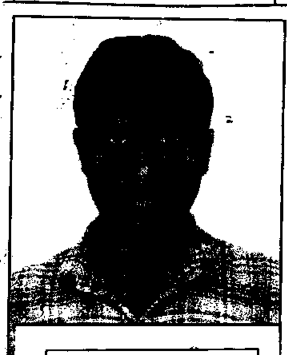 |
| 2 | श्री अमित कुमार | श्री राम प्रवेश प्र0 चौरसिया ग्राम–चंदौर, पो0–चंदौर, थाना–भगवानपुर, जिला–बेगूसराय, पिन कोड–851133 | BR00150010036003 | 1174 | 05.01.1986 | EBC/ EBC/ 60-EBC | 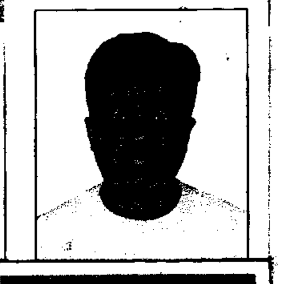 |
| 3 | श्री अजय कुमार रंजन | श्री देवब्रत महतो ग्राम–खावाचन्द्र टोला, पो0–किरणपुर, थाना–मेदनीचौकी, जिला–लखीसराय, पिन कोड–811106 | BR00150010074765 | 1298 | 21.02.1985 | EBC/ EBC/ 40-EBC | 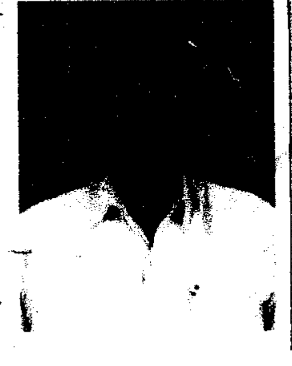 |

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही हैं। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है, कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों/अभिलेखो के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी (नवनियुक्त कनीय अभियंता, असैनिक) के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि /पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों / निकायों में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निम्न शर्तें अधिरोपित होंगे:–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं हैं। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय अभियंता संविदा नियोजन से त्याग पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंताओं जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ प्रदत की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे सबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है. तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले को गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरान्त अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने /योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरान्त नव पदस्थापन कार्यालयों में योगदान की तिथि से देय होगा।

10 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं० 01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्ध दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. आयोग द्वारा अनुशंसित वैसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध पूर्व से आपराधिक मामला दर्ज है अथवा नियुक्ति के उपरांत ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं, तो इनकी नियुक्ति पर विभाग द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी तथा विभागीय निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

13. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तद्नुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

ह0/–
(रंजन कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0 (क0अ0)–02/2025 .......................... न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ /अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0 (क0अ0)–02/2025 .......................... न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01/स्था0 (क0अ0)–02/2025 2149 .......................... न0वि0एवंआ0वि0/पटना, दिनांक– 25.2.2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/पथ निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बुडको/निदेशक, वाल्मी पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/2/25
सरकार के अवर सचिव